भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 315609

21-1-13

न्यास पत्र

मनकि कंचन वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा ग्राम इमलिया पो० इमलिया परगना हिसामपुर तहसील कैसरगंज जिला बहराइच की हूँ : हम मुकिरा समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करती रहती है तथा हम मुकिरा के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिरा की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख–शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों के जीवन की मूल–भूत आवश्यकताएं, भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान–प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिक ताल–मेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊंच–नीच की भावना उन्हीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिये विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये हम मुकिरा द्वारा एक कल्याणकारी न्यास–ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिरा द्वारा अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिये तथा इसहेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बाबत 21,000/–

भारत गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842042

(इक्कीस हजार) रुपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न स्रोतों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुखिया ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बाबत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रही है, जिसकी व्यवस्था निम्न रूपेण की जायेगी :-

1. यह कि हम मुखिया द्वारा स्थापित न्यास का नाम "स्व0 शकुन्तला देवी चैरिटेबिल ट्रस्ट" होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2. यह कि हम मुखिया द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय ग्राम व पोस्ट इमलिया, तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बाबत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा भविष्य की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।

3. यह कि हम मुखिया ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुखिया द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत है, को ट्रस्टी नामित करती है। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा जिनकी कुल संख्या 3 से कम तथा 7 से अधिक नहीं होगी। भविष्य में हम मुखिया द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुखिया द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुखिया द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है :-

1. श्री गया प्रसाद वर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद वर्मा ग्राम व पो0 ... तहसील कैसरगंज, जिला बहराइच।

Kkaushal

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842043

2. श्रीमती पुष्पा वर्मा पत्नी श्री त्रिलोकी नाथ वर्मा ग्राम व पो०– कुल्ला, तहसील नानपारा, जिला बहराइच।

3. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री आर०एल० चौधरी, मकान नं० 727 आर०सी० व्यास कालोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान।

4. श्रीमती आशा चौधरी पत्नी श्री राकेश चौधरी मो० आजाद नगर बांसी चावल, जिला सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश।

5. श्री राजेश कुमार वर्मा पुत्र स्व० श्री माधव राम वर्मा ग्राम गुजराती पुरवा, पो० अम्बरपुर, तहसील नानपारा, जिला बहराइच।

4. यह कि हम मुकिरा द्वारा "स्व० शकुन्तला देवी चैरिटेबिल ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्म–निर्भर बनाना।

3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

Kkanchy

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रूपये रु. 50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842044

4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन-जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुये तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5. समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाई चारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र-भक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्राकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिये युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6. लिंग-भेद, जाति-पाँति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिये प्रशिक्षण/जागरूकता/सर्वे/ सिद्रेपर आदि की व्यवस्था करना।

7. शिक्षा प्रचार/प्रसार/उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

8. समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये किन्ड-गार्डन, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी०जी० कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

9. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिये अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक,

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842045

पी०सी०एस०, आई०ए०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिये कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उनसे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

10. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

11. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिये स्व रोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिये शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिये अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

12. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, स्क्रीनिंग, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रानिंग, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी०वी० ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण, कटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे- केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिये प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

13. खाद्य प्रसंस्करण जैसे- जैम, जैली, मुरब्बा, आचार, कैचप तथा फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

14. युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे- हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।

K Kamlesh

र प्रदेश UTTAR PRADESH AD 842046

15. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवतियों के लिये विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ–हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

16. वृद्धों के लिये विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।

17. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

18. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बालक घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

19. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी–बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधों) (फलोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।

20. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुये उससे सम्बन्धित ग्रामस्तर जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वतः रोजगार के लिये बोर्ड से प्राप्त

Kamlesh

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842047

होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वत: रोजगार हेतु जन-जन तक पहुंचाना।

21. राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

22. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना-बेचना, उन्हें किराये या लीज पर लेन-देन करना, मार्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि।

23. विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सकें जैसे- युनीसेफ, आई०सी०डी०एस०, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

24. घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवकों को आत्म निर्भर बनाने के लिये डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन तथा इनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोक-थाम, टीकाकरण के लिये युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।

25. बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान-मसाला, गांजा-भांग, स्मैक, एल०सी०डी० या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिये नशा-मुक्ति नि:शुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

26. समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे- अन्ध-विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग-भेद, अस्पृश्यता, जाति-पात एवं

Kkanchan

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842046

छुआ–छूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिये जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

27. महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद–फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा किषोरी उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिये युवतियों को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

28. सामुहिक विवाह तथा सामुहिक भोज को बढ़ावा देना–त्यौहारों जैसे– होली, दीवाली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे– शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय को रोक–थाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

29. विभिन्न प्रकार के खेल जैसे– योगा, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिये संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिये प्रयास करना।

30. विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जन संख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना, जिसमें जागरूकता प्रशिक्षण/कैम्प सहायता एवं हैण्ड पाइप की व्यवस्था करना।

31. परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण परिवार नियोजन टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ–साथ परिवार कल्याण परामर्श की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

Kranthi

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842049

32. एड्स, कैन्सर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियन्त्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

33. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी, झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध करना।

34. सरकारी कार्यक्रमों जैसे- सूखा एवं सूखा को संचालित करना।

35. सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़न्जा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध करना।

36. कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित बीजों को लगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिये आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य दिलाना तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा स्थाई कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842050

37. बर्मी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।

38. बन्जर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिये विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

39. जल, वायु, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/निदान/उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिये रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

40. प्राकृतिक आपदा जैसे- हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, भूस्खलन-भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँवों, व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिये सहयोग/जागरूकता तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिये लोगों/संस्था तथा कम्पनियों कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

41. लावारिस, असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेष कर कुत्तों एवं गायों की देख भाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था करना/पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिये पशु मेले का आयोजन करना।

42. तत्काल सुविधा पहुंचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना, घायलों, व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842351

पहुँचाने के लिये अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तथा ले जाने के लिये मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।

43. उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना, जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।

44. पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिये काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता दी जा सके।

45. गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिये उपाय करना।

46. किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।

47. सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सर्वे कार्य, डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य, दृश्य कैसेट, कठपुतली, सामग्री, डाक्यूमेन्टरी एवं नुक्कड़-नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

48. किसी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संघ अथवा एन0जी0ओ0, एसोसियेशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना उनके क्रिया-कलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हों।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842352

49. सरकारी तथा गैर सरकारी/लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

50. विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।

51. संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

52. सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न ईकाइयों को सुचारू व्यवस्था के लिये अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिये समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिये समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।

4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप में तैयार करना तथा इसके लिये धन की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 842353

हेतु सदस्यता शुल्क, दान, चंदा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयां गठित करना।

5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिये लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देख भाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिये सतत् प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

7. ट्रस्ट के अधीन कथावित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किसी आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौ-शालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिये आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिये आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर सरकारी, विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये खर्च करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

Kamala

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 842354

11. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यवसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/इन्स्टीट्यूट्स की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासनिक योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीट्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था :

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन –

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा –

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकेश होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी नामित करने का अधिकार होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842355

2. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की असमर्थता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिये अधिकृत होगा।

3. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों की नियुक्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा मनोनयन के आधार पर किया जायेगा। मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिये मान्य एवं अन्तिम होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग-पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842356

7. ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किये गये खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से संबंधित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ख) ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जावेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले ट्रस्टियों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7. मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य

- इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की धनराशियों का नियमन करना।

Kamalay

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842357

- ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही सिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
- ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।
- ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
- ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेखों को हस्ताक्षरित करना।
- ट्रस्ट द्वारा तथा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
- इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट की मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।
- ट्रस्ट की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
- ट्रस्ट के आय-व्यय की रिपोर्ट तैयार कराना।
- ट्रस्ट से वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव करना।

8. ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख-रखाव एवं जमाकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अनुसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें

Kanchan

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842358

ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियां एवं अन्य सम्पत्तियाँ निहित होगी,
ट्रस्ट के नाम खोले गये खातों का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी
द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. **ट्रस्ट के अभिलेख**

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का
होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिये सूचना रजिस्टर, कार्यवाही
रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

→ ट्रस्ट के आय व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की
नियुक्ति की जा सकेगी।

→ ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट
के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा
अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की
जायेगी।

→ ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की
नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल
के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा अथवा
किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट
मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों
की भी नियुक्ति करेगा।

→ ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिये वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिये
आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

Kanchan

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 842359

→ ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बारे में यह शर्त लागू होगी।

10. ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था

ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी :—

- यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिये मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी, जिसे कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।
- यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी रूप या आधार सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।
- यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।
- ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था या विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के समिता रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

Kamla

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 842360

घोषणा

"स्व0 शकुन्तला देवी चैरिटेबिल ट्रस्ट" की तरफ से हम कंचन वर्मा मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवाकर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच-समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

हम

हस्ताक्षर साक्षी गण

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

1. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा
पुत्र श्री विक्रम सिंह वर्मा
नि0-अशोक विहार कालोनी
घसियारीपुरा, बहराइच

2. श्री सुभाष चन्द्र वर्मा एडवोकेट
तहसील महसी, बहराइच

मजमूनकर्ता
श्री सुभाष चन्द्र वर्मा एडवोकेट
तहसील महसी, बहराइच